न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :–गीतेश श्री मालवीय, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 3/2021 (डूंगरपुर डिक्री)

1. गौतम पिता नाथा जी भील, निवासी मौजा ग्राम घाटा, तहसील व जिला डूंगरपुर
2. हांजा पिता नाथा जी भील, निवासी मौजा ग्राम घाटा, तहसील व जिला डूंगरपुर
3. गट्टु पिता नाथा जी भील, निवासी मौजा ग्राम घाटा, तहसील व जिला डूंगरपुर
4. श्रीमती लीलकी पिता नाथा जी भील, निवासी मौजा ग्राम घाटा, तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. नाथूलाल पिता दोला जी भील, नि0मौजा ग्राम घाटा, तह0व जिला डूंगरपुर
2. सुश्री हेमलता पिता लक्ष्मण भील, नि0मौजा ग्राम घाटा, तह0व जिला डूंगरपुर
3. भूमिधारीतहसीलदार,डूंगरपुर (राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थानकाश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध निर्णयव डिक्री उपखण्ड अधिकारीडूंगरपुर दिनांक 18–02–2020 प्रकरणसंख्या139/2018

———::———

उपस्थित :– 1–श्री रोशनलाल जैन अभिभाषक अपीलान्टगण

2– श्री पैरोकार सरकाररेस्पोन्डेन्ट सख्या3

———::———

निर्णयदिनांक20–06–2023

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1व 2 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया किमौजा ग्राम घाटा में पक्षकारान की पुश्तैनी संयुक्त खातेदारी की आराजी नंबर 194, 195, 196, 212, 105, 1056, 1144, 1206, 1288, 1290, 1291, 1292, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1327, 1328 कुल किता 23 रकबा 17 बीघा 7 बिस्वा भूमि स्थित है, जिसमें वादीगण का 1/2 हिस्सा (वादी संख्या 1 का 1/4 तथा वादी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा) तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का 1/2 हिस्सा होकर इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। पक्षकारान के मध्य पूर्व में पारिवारिक बंटवारा होकर पक्षकारान उसी अनुसार अपने–अपने हिस्से की भूमि पर काबिज हैं। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को अपने कब्जे काश्त से बेदखल किये जाने के आशय से कुछ माह

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2023.08.01 13:08:55 IST
Reason: Self Attested

पूर्व विवाद किया तथा अन्यत्र चले जाने की धमकी दी, जिससे वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ।अतः वादीगण का वाद स्वीकार कर विवादित आराजियात का उपरोक्तानुसार विभाजन किया जाकर खाते अलग–अलग कायम किये जावें।

अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक18–02–2020 से वादीगण का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण/ प्रतिवादी संख्या 1 से 4द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 04–01–2021 कोप्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 औपचारिक पक्षकार की ओर से राजकीय पैरोकार उपस्थित हुए।रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित।अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया तथा निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी प्रथम बार अपीलान्टगण को दिनांक 02–12–2020 को हुई। जानकारी होते ही नकलें प्राप्त कर अपील अविलम्ब प्रस्तुत कर दी गयी है। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः अपील अन्दर मयाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

प्रकरण के गुणावगुण पर बहस करते हुएविद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अपीलान्ट के अधिवक्ता ने अधिनस्थ न्यायालय में बिना अपीलान्ट [illegible] मनमकसूद तरीके से दावा पेश कर बंटवारे की प्रारम्भिक [illegible] उक्त जवाबदावे पर अपीलान्टगण के हस्ताक्षर नहीं हैं, न ही [illegible] प्रमाणित किया हुआ है। ऐसी स्थिति में जवाबदावा पेश ही नहीं हुआ [illegible]। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना प्रतिवादीगण के जवाबदावे के जो प्रारम्भिक डिक्री जारी की गयी है, वह त्रुटि पूर्ण है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री में तारीख खाली छोड़ दी गयी है, जिससे लगता है सब कुछ जल्दबाजी में कानूनी प्रक्रिया की अनदेखी करते हुए

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2023.08.01 13:08:55 IST
Reason: SelfAttested

किया गया है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय डिक्री निरस्त की जावे।

विद्वान पैरोकार सरकार ने प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं होने से प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किये जाने का निवेदन किया।

हमनेउभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि निर्णय एवं डिक्री दोनों पर निर्णय व डिक्री पारित करने की दिनांक अंकित नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका में 18–02–2020 को प्रारम्भिक डिक्री जारी करने का निर्णय किया गया है। निर्णय व डिक्री में दिनांक का छूटना मानवीय भूल हो सकती है। इस आधार पर निर्णय व डिक्री अपास्त करना उचित नहीं है। चूंकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री पारित की गयी है। अतः अपीलार्थीगण अधिनस्थ न्यायालय में इस स्तर पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अपीलार्थीगण के पास विधिक उपचार उपलब्ध है। अतः अपील पेश करने का कोई औचित्य नहीं है। अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 18–02–2020यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।निर्णय आज दिनांक 20–06–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(गीतेश श्री मालवीय)
राजस्व अपील अधिकारी

उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2023.08.01 13:08:55 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत............**भू०प्र०अ० एवं पदेन रा०अ०अ०**.........मुकाम..............**उदयपुर**.............
व इजलास ....**गीतेश श्री मालवीय, आर०ए०एस०** ....

गौतम पिता नाथा जी भील, निवासी मौजा ग्राम घाटा, तहसील व जिला डूंगरपुर व अन्य बनाम **नाथूलाल पिता दोला जी भील, नि० मौजा ग्राम घाटा, तहसील व जिला डूंगरपुर व अन्य**

अपील नं०...........**3/2021**...........व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**...........
...........**डूंगरपुर**..........मुकाम................मुवर्खे............**18**.............माह..................**02**................**2020**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख............**20**..........माह............**06**............सन् **2023** रूबरू..................
व हाजरी..............**श्री रोशनलाल जैन**........मिनजानिब अपीलान्ट व .... **श्री पैरोकार सरकार**

...........रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.........**अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 18–02–2020 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.......)........रूपये ....**X**......
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..........................**X** ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.........**20**......माह.......**06**...........**2023**
को जारी किया गया।

(गीतेश श्री मालवीय)
राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा			3. [illegible]		
4. वकील फीस बाबत			4. [illegible] वकील..........		
मीजान			मीजान ...		

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2023.08.01 13:08:55 IST
Reason: SelfAttested

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकैन का कुल खर्च अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।